भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स रेहर अण्डरग्राउण्ड प्रोजेक्ट, एस.ई.सी.एल. ग्राम–गेत्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत पीक प्रोडक्शन– 0.31 एम.टी.पी.ए. से 0.80 एम.टी.पी.ए. एवं लीज एरिया– 402 हेक्ट. से 460 हेक्ट. के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये दिनांक 20/01/2012, दिन–बुधवार, स्थान– ग्राम पंचायत कार्यालय, गेतरा, पोस्ट–बिश्रामपुर, जिला–सरगुजा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

———————————————————————————————————

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स रेहर अण्डर ग्राउण्ड प्रोजेक्ट, एस.ई.सी.एल. ग्राम–गेत्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत्–0.31 एम.टी.पी.ए. पीक प्रोडक्शन–0.80 एम.टी.पी.ए. (लीज एरिया–402 हेक्ट. 460 हेक्ट.) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् **अपर कलेक्टर, सरगुजा** की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में **दिनांक 28/03/2012, दिन–बुधवार** को **ग्राम पंचायत कार्यालय, गेतरा, पोस्ट–बिश्रामपुर, जिला–सरगुजा** में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम **श्री अरविन्द कुमार, उपक्षेत्रीय प्रबंधक,** मेसर्स रेहर अण्डर ग्राउण्ड माईन, एस.ई. सी.एल. बिश्रामपुर क्षेत्र द्वारा खान और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मेसर्स रेहर अण्डर ग्राउण्ड प्रोजेक्ट, एस.ई.सी.एल. ग्राम–गेत्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत्–0.31 एम.टी.पी.ए. पीक प्रोडक्शन–0.80 एम.टी.पी.ए. (लीज एरिया–402 हेक्ट. 460 हेक्ट.) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई प्रकाशन तिथि से **दिनांक 27/03/2012** तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में लिखित या मौखिक में कोई भी सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। **दिनांक 28/03/2012** को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में **09** सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से खान पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **17** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग **350** व्यक्तिय उपस्थित रहे जिसमें 83 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

1. हम पर्यावरण के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में हमें विस्तार से बताया जाये।
2. ग्राम–मानी से छत्तीसगढ़ ढाबा तक रोड पर जल छिड़काव बंद है, मानी, सपकरा, डेडरी प्रदूषण से प्रभावित है, रोड को बनाये या पानी डालें।
3. पर्यावरण सुनवाई में लोगों को अपने विचार शासन के सामने रखना चाहिए, क्षेत्र की समस्या से अवगत करायें।
4. हमारे गांव में 15 साल बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है, घरों में दरार आ रही है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जल की कमी से सभी जूझ रहे हैं, हमारे दुखों को दूर करें, हमारी

समस्याओं को दूर करें, जमीन हमारी है और हमी यहां परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, स्थल निरीक्षण किया जाये।

5. खदान खुलने के बाद लोग विकास को तरस रहे हैं, जल की उपलब्धता नहीं है, 2008 के आश्वासन को पूरा नहीं किया है। नौकरी नहीं दी जा रही है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, गायत्री का पानी फिल्टर करके दिया जाये जिससे निस्तार की व्यवस्था हो सके, जो नहीं दिया जा रहा है।
6. खदान खुलने के बाद से आज तक मेरी जमीन का मुआवजा नहीं मिला ना ही नौकरी मिली, जिसका निराकरण करें।
7. 1995–96 से खदान खुलने के पहले क्षेत्र हरा–भरा रहता था, पानी भी स्वच्छ हुआ करता था, खेती भी होती थी, आज नाले का पानी काला हो गया है। पर्यावरण दूषित हो गया है, जिसे सुधार किया जाये, खदान खुलने से जल स्तर प्रभावित हुआ है, खेती भी प्रभावित हुआ है, सरपंच के माध्यम से एस.ई.सी.एल. को अवगत कराया है कि खदान खुलने से पानी सूख रहा, हमारी मांग यही रही है कि पानी दिया जाय या नौकरी दी जाय, भूमिगत खदान होने से जल स्तर नीचे गिर रहा है। हमारी जमीन का उचित मुआवजा, नौकरी दी जाय, सड़क मार्ग ठीक नहीं है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है।
8. हमारे भाईयों ने कहा है कि 15 वर्षों से खदान खुलने के बाद कोई सुविधा नहीं दी गयी। बिजली की समस्या है, करोड़ों का कोयला एस.ई.सी.एल. ले जा रहा है। बस्ती के लोगों की कोई सुनवाई नहीं, नौकरी नहीं दी जा रही है, धरती के गर्भ से कोयला ले–जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, सुधार करना आपका कर्तव्य है।
9. हमारी बस्ती में खदान खुलने के बाद से क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिसे सुधारना है।
10. हमारी जमीन में काम कर रहे हैं, कालोनी बना रहे हैं, और आज तक नौकरी नहीं दी गयी।
11. हमारी जमीन खदान में गयी है, नौकरी दी जाये।
12. हमारी जमीन फंसा है, खदान में नौकरी दी जाये।
13. हमारी जमीन खदान में फंसी हुयी है। हमें नौकरी और मुआवजा दिया जाये, मुख्य मार्ग पर हमारी जमीन है, बाहरी लोगों को नौकरी दी गई है, हमें अभी तक नहीं दिया है।
14. उत्पादन बढ़ाने में हमें आपत्ति नहीं, रोजगार के अवसर बढ़ाये जायें, पर्यावरण के सुधार हेतु एस.ई.सी.एल. ध्यान दे, जमीन प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण करें।
15. पात्र लोगों को नौकरी, मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन हमारी तात्कालिक समस्या पेयजल की है, यहां पर स्कूल की व्यवस्था की जाये जिससे बच्चों को बिश्रामपुर न जाना पड़े, आसपास के मार्गों का चौड़ीकरण करें, पेयजल तत्काल उपलब्ध कराया जाये। खेती के कार्यों के लिये भी पानी दिया जाय।
16. पूर्व में प्रति एकड़ नौकरी दिये जाने का आष्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक नौकरी पूरा नहीं हुआ, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने कहा गया था, नाले का पानी पीने योग्य नहीं है, फिल्टर कर पानी दिया जाये।
17. रेहर खदान में हमारी जमीन फंसी है, हमारी जमीन में ही उद्घाटन हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं मिली है, हमारे दामाद को नौकरी दिया जाना था जिसे नहीं दिया, हमारे बच्चे छोटे हैं, अतः बच्चे के बालिग होने तक हमें नौकरी दी जाय।

श्री व्ही.एस. राम, महाप्रबंधक (संचालन), एस.ई.सी.एल. बिश्रामपुर क्षेत्र द्वारा प्राप्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के सम्बंध में मौखिक रूप से जन समुदाय को अवगत कराया गया कि :–

1. हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित जल, वायु, भूमि, वनस्पति एवं जीव–जन्तु आदि विभिन्न घटकों के सम्मिलित परिवेश को पर्यावरण कहते

हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण के विभिन्न घटकों में पड़ने वाले प्रभाव को पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। रेहर भूमिगत खदान द्वारा कोल उत्खनन के दौरान पर्यावरण के प्रमुख घटकों जल, वायु एवं भूमि का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए खान क्षेत्र के आसपास के जनजीवन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए लोगों के आर्थिक–सामाजिक पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत माईन वाटर उपचार हेतु सेटलिंग टेंक का निर्माण, वायु प्रदूषण के विभिन्न स्त्रोतों व परिवहन मार्गों पर जल छिड़काव, भूमि सुधार एवं भूमि की उपलब्धता अनुसार वृक्षारोपण किया जा रहा है। खान प्रभावितों एवं आसपास के ग्रामीणों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जा रहा है।

2. रेहर भूमिगत खान द्वारा ग्राम–मानी से छत्तीसगढ़ ढाबा तक रोड पर डस्ट प्रदूषण के नियत्रण हेतु दो मोबाईल टेंकरों के माध्यम से नियमित रूप जल छिडकाव किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में छत्तीसगढ़ ढाबा से मानी मोड तक की सड़क का सुधार कार्य किया गया है जिस पर लगभग 40 लाख रूपये व्यय हुआ है।

3. रेहर भूमिगत खान द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार की लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य के विचारों का हम स्वागत करते हैं। खान के सम्बंध में व्यक्त किये गये सुझाव/विचार/टीका– टिप्पणी/आपत्तियों एवं समस्याओं को हम पूरी पारदर्शिता के साथ निराकृत करने का प्रयास करेगें।

4. रेहर भूमिगत खान द्वारा ग्राम–गेतरा के खान प्रभावितों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा का वितरण किया गया है। प्रभावित भू–स्वामियों को पात्रता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पेयजल हेतु 15 नग हैन्ड पम्प स्थापित किये गये है। सामुदायिक विकास कार्यों के अन्तर्गत ग्राम गेतरा में पी.सी.सी. सड़क निर्माण, विद्युतीकरण एवं विद्यालय में 02 नग कमरों का निर्माण कार्य किया गया है। खान प्रभावितों को राज्य शासन से पात्रता प्राप्त 55 भू–स्वामियों/ आश्रितो को रोजगार प्रदान किया गया है एवं 02 भू–स्वाामी/आश्रितों के रोजगार का प्रकरण अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर प्रेषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा 22 भू–स्वामियों/कृषकों को पात्रता जांच हेतु आवष्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन से पात्र घोषित होने पर प्रकरण तैयार कर अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर भेजा जाना प्रस्तावित है। रेहर भूमिगत खान द्वारा सतह से लगभग 60 से 100 मीटर नीचे से कोयले का उत्खनन कार्य महानिदेषक खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, जिससे घरों में दरार पड़ने की संभावना नहीं रहती। ग्राम–गेतरा के आसपास के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु राज्य शासन से अनुमति अपेक्षित है। शासन से अनुमति प्राप्त होने पर मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

5. रेहर भूमिगत खान द्वारा से ग्राम–गेतरा एवं खान प्रभावितों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा का वितरण किया गया है। प्रभावित भू–स्वामियों को पात्रता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पेयजल हेतु 15 नग हैन्ड पम्प स्थापित किये गये हैं। सामुदायिक विकास कार्यों के अन्तर्गत ग्राम गेतरा में पी.सी.सी. सड़क निर्माण, विद्युतीकरण एवं विद्यालय में 02 नग कमरों का निर्माण कार्य किया गया है। खान प्रभावितों को राज्य षासन से पात्रता प्राप्त 55 भू–स्वामियों/ आश्रितो को रोजगार प्रदान किया गया है एवं 02 भू–स्वाामी/आश्रितों के रोजगार का प्रकरण अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर प्रेषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा 22 भू–स्वामियों/कृषकों को पात्रता जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन से पात्र घोषित होने पर प्रकरण तैयार कर अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर भेजा जाना प्रस्तावित है। गायत्री भूमिगत खदान से निस्सारित

माईन वाटर को उपचार उपरांत (फिल्टर) पेयजल के रूप में दिये जाने की कार्ययोजना को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जावेगा।

6. रेहर भूमिगत खान के द्वारा आवेदक की भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है। परिवार के सदस्य (आवेदक के पिता) की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जिला कार्यालय में जमा कराया गया है जिसका भुगतान जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर कैम्प लगाकर किया गया है। भू–स्वामी को जिला प्रशासन द्वारा रोजगार हेतु अपात्र घोषित किया गया है।

7. रेहर भूमिगत खान द्वारा सतह से लगभग 60 से 100 मीटर नीचे से कोयले का उत्खनन कार्य महानिदेशक खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिससे सतह पर स्थित पेड़–पौधे एवं सतही जल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। खदान से निस्सारित माईन वाटर को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार उपरांत निस्सारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में ग्राम–गेतरा के मानी चौक से छत्तीसगढ़ ढाबा तक सड़क का सुधार कार्य किया गया जिस पर लगभग रू. 40 लाख व्यय किये गये हैं। डस्ट प्रदूषण के नियत्रण हेतु दो मोबाईल टेंकरों के माध्यम से नियमित रूप से जल छिडकाव किया जा रहा है। पेयजल हेतु 15 नग हैन्ड पम्प स्थापित किये गये हैं। सामुदायिक विकास कार्यों के अन्तर्गत ग्राम गेतरा में पी.सी.सी. सड़क निर्माण, विद्युतीकरण एवं विद्यालय में 02 नग कमरों का निर्माण कार्य किया गया है। खान प्रभावितों को राज्य शासन से पात्रता प्राप्त 55 भू–स्वामियों/आश्रितो को रोजगार प्रदान किया गया है एवं 02 भू–स्वाामी/आश्रितों के रोजगार का प्रकरण अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर प्रेषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा 22 भू–स्वामियों/कृषकों को पात्रता जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिये गये है। शासन से पात्र घोषित होने पर प्रकरण तैयार कर अनुमोदनार्थ एस.ई.सी. एल. मुख्यालय, बिलासपुर भेजा जाना प्रस्तावित है। ग्राम–गेतरा के आसपास के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु राज्य शासन से अनुमति अपेक्षित है, शासन से अनुमति प्राप्त होने पर मार्गों का चौड़ीकरण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

8. रेहर भूमिगत खान द्वारा ग्राम–गेतरा में सामुदायिक विकास कार्यों के अन्तर्गत पेयजल हेतु 15 नग हैण्डपंप स्थापित किये गये हैं। ग्राम–गेतरा में ही पी.सी.सी सड़क निर्माण, विद्युतीकरण एवं विद्यालय में 02 नग कमरों का निर्माण, खान प्रभावितों को राज्य शासन से पात्रता प्राप्त 55 भू–स्वामियों/आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया। 02 भू–स्वामी/आश्रितों के रोजगार का प्रकरण अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर प्रेषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा 22 भू–स्वामी/कृषकों को पात्रता जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन से पात्र घोषित होने पर प्रकरण तैयार कर अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय भेजा जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण सुधार हेतु जल छिड़काव की नियमित व्यवस्था की गई है। भूमि उपलब्धतानुसार वृक्षारोपण किया जा रहा है एवं खदान से निस्सारित माईन वाटर को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार उपरांत निस्सारित किया जाता है।

9. रेहर भूमिगत खान द्वारा आस–पास के गॉवों के पर्यावरण के सुधार/संरक्षण हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शर्तों का पालन किया जा रहा है।

10. रेहर भूमिगत खान के द्वारा आवेदक के पिता की भूमि अधिग्रहित की गई है, भूमि सम्बंधी दस्तावेज मे विसंगतियां होने के कारण राज्य शासन द्वारा आवेदक को प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये, अभी तक भूमि स्वामी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

11. रेहर भूमिगत खान के द्वारा आवेदक की भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है।

12. रेहर भूमिगत खान के द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जिला कार्यालय में जमा कराया गया है जिसका भुगतान जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर कैम्प लगाकर किया गया है। भू–स्वामी को जिला प्रशासन द्वारा रोजगार हेतु अपात्र घोषित किया गया है।

13. रेहर भूमिगत खान के द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जिला कार्यालय में जमा कराया गया है जिसका भुगतान जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर कैम्प लगाकर किया गया है। भू–स्वामी को जिला प्रशासन द्वारा रोजगार हेतु अपात्र घोषित किया गया है।

14. रेहर भूमिगत खान के क्षमता विस्तार हेतु आपको आपत्ति नहीं इसके लिये धन्यवाद। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से रोजगार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर बढेंगे। पर्यावरण के सुधार हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शर्तों का पालन किया जा रहा है, जिसका भविष्य में भी पालन किया जावेगा। जमीन प्रभावितों के मुआवजा एवं रोजगार प्रकरण का राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार प्राथमिकता तय कर निराकरण किया जावेगा।

15. रेहर भूमिगत खान से प्रभावित भू–स्वामी/आश्रितों को मुआवजा जिला कार्यालय में जमा कराया गया है जिसका भुगतान जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर कैम्प लगाकर किया गया है। राज्य शासन द्वारा पात्रता प्राप्त 55 भू–स्वाामी/आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है एवं 02 भू–स्वामी/आश्रितों को रोजगार का प्रकरण अनुमोदनार्थ एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर प्रेषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा 22 भू–स्वामियों/कृषकों को पात्रता जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन से पात्र घोषित होने पर प्रकरण तैयार कर अनुमोदनार्थ एस.ई.सी. एल. मुख्यालय, बिलासपुर भेजा जाना प्रस्तावित है। गेतरा में पेयजल हेतु 15 नग हैण्डपंप तथा एक ट्यूबवेल लगाया गया है। ग्राम–गेतरा के अलावा आसपास के ग्राम–मानी, पोड़ी, जोबगा, सपकरा, डेडरी, सलका में भी कुल 24 नग हैण्डपंप लगाये गये हैं। आसपास के कृषकों द्वारा उपचारित माईन वाटर का उपयोग कृषि कार्य में किया जा रहा है। बिश्रामपुर में षिक्षा ग्रहण करने हेतु जाने वाले स्कूली एवं अन्य बच्चों के लिये नियमित रूप से एक बस का संचालन किया जा रहा है। यह बस प्रतिदिन ग्राम–गेतरा एवं बिश्रामपुर के बीच तीन फेरे लगाती है। प्रबंधन द्वारा आगामी एक माह के भीतर एक अतिरिक्त बस की व्यवस्था हेतु कार्य आदेष जारी किया गया है। ग्राम–गेतरा के आसपास के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु राज्य शासन से अनुमति अपेक्षित है। शासन से अनुमति प्राप्त होने पर मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

16. रेहर भूमिगत खान द्वारा भू–विस्थापितों को अधिग्रहित भूमि के एवज में जिला प्रशासन से पात्रता प्राप्त होने पर रोजगार प्रदान किया गया है। पूर्व में प्रति एकड़ भूमि के एवज में रोजगार देने का आश्वासन प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है। पेयजल हेतु ग्राम–गेतरा में 15 नग हैण्डपंप तथा एक ट्यूबवेल लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 05 नग हैण्डपंप स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

17. रेहर भूमिगत खान द्वारा आवेदिका के पति जगनंदन आत्मज जरही के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, भू–स्वामी (जगनंदन आ. जरही) को नौकरी दी गई थी, किंतु भू–स्वामी चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाये जाने के कारण परिवार के अन्य सदस्य जिसका भू–स्वामी से सीधा सम्बंध है को नामित करने हेतु कहा गया था। भू–स्वामी द्वारा दामाद का नाम प्रस्तावित किया गया था, एस.ई.सी.एल. में दामाद को रोजगार देने का प्रावधान नहीं है। भूमिगत खदान में महिलाओं को नौकरी देने का भी प्रावधान नहीं है।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

लोक सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त कुल **09** सुझाव/विचार/टीका– टिप्पणी एवं आपत्तियां, लोक सुनवाई के दौरान **17** व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक, वीडियो फिल्म (असम्पादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स संलग्न कर लोक सुनवाई कार्यवाही का विवरण सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

अपर कलेक्टर,
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा